

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या :— 1184/2013/बाँसवाडा.

मैसर्स भारत मोटर्स, बाँसवाडा

.....अपीलार्थी.

बनाम

1 आयुक्त, अपीलीय अधिकारी, वाणिज्यिक कर, उदयपुर

2 सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत्त-बाँसवाडा

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री बी. के. मीणा, अध्यक्ष

श्री ईश्वरी लाल वर्मा, सदस्य

उपस्थित :

श्री अलकेश शर्मा,

अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री आर के अजमेरा,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 18/12/2015

निर्णय

यह अपील राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे “वैट अधिनियम” कहा जायेगा) की धारा 83 के तहत अपीलार्थी द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे “अपीलीय अधिकारी” कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 53/सीएसटी/12-13/बाँसवाडा में पारित किये गये आदेश दिनांक 10.04.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। इस अपील में अपीलीय अधिकारी ने अपने उक्त आदेश से सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, वृत्त-बाँसवाडा (जिसे आगे “कर निर्धारण अधिकारी” कहा जायेगा) के द्वारा वैट अधिनियम की धारा 25 सप्तित 18, 55, 58 व 61 सप्तित धारा 3 केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के तहत पारित किये गये कर निर्धारण आदेश दिनांक 20.12.2012 के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया गया है। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील हमारे समक्ष पेश की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-द्वितीय, बाँसवाडा (जिसे आगे “जांच अधिकारी” कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी फर्म का सर्वेक्षण दिनांक 07.08.2012 को किया गया। वक्त सर्वेक्षण यह पाया गया कि अपीलार्थी फर्म द्वारा वर्ष 2010-11 की तृतीय एवं चतुर्थ तिमाही में राज्य में पंजीकृत व्यवसाईयों से रूपये 3,60,79,632.92/- की बीड़ी खरीद की गई तथा रूपये 3,63,68,924.70/- की बीड़ी का विक्रय घोषणा प्रपत्र “सी” के विरुद्ध अन्तरराज्यीय विक्रय के दौरान मैसर्स महावीर प्रसाद रविन्द्र कुमार, फतेहाबाद (हरियाणा) को किया गया। अतः जांच अधिकारी को प्रथम दृष्ट्या बीड़ी के क्रय/विक्रय के संबंधवाहार संदेहास्पद प्रतीत होने के कारण विस्तृत जांच की गई। जांच के दौरान जांच अधिकारी द्वारा अपीलार्थी

18-12-2015

- ३८७ -

लगातार 2

फर्म मैसर्स भारत मोटर्स, बाँसवाडा एवं राज्य की विक्रेता फर्म मैसर्स लखानी एजेन्सीज, बाँसवाडा, मैसर्स श्री शाकम्बरी टी कम्पनी, बाँसवाड तथा मैसर्स प्रकाशचन्द माणकलाल, कुशलगढ़ की स्वयं द्वारा जांच की गई तथा अन्य वृत्तों में पंजीकृत फर्मों मैसर्स फडिया सौभागमल निहालचंद, झूंगरपुर, मैसर्स आस्था मार्केटिंग, हिण्डोन सिटी, मैसर्स गोकुलचंद मांगीलाल, हिण्डोन सिटी तथा मैसर्स कमल एण्ड कम्पनी, हिण्डोन सिटी की संबंधित वृत्तों से जांच करवाकर जांच रिपोर्ट एवं दस्तावेज प्राप्त किये। इसके अतिरिक्त बाँसवाडा स्थित श्री गणेश ट्रांसपोर्ट कम्पनी की जांच कर, दस्तावेज प्राप्त किये गये तथा क्रेता मैसर्स महावीर प्रसाद रविन्द्र कुमार, फतेहाबाद (हरियाणा) के मालिक श्री विरेन्द्र कुमार के बयान भी कलमबद्ध किये गये एवं आवश्यक दस्तावेजों की छाया प्रतियां प्राप्त की गई। इसके अतिरिक्त मैसर्स महावीर प्रसाद रविन्द्र कुमार, फतेहाबाद (हरियाणा) के बैंक ऑफ बडौदा में खाता संख्या 33560400000005 की प्रतियां तथा इस खाते में बाँसवाडा एवं आसपास के क्षेत्रों में स्थित बैंक की शाखाओं में नकद जमा की पर्चियां तथा स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के खाता संख्या 65041131067 की छाया प्रति भी प्राप्त की गई। जांच अधिकारी ने यह पाया कि अपीलार्थी द्वारा राजस्थान में पंजीकृत फर्मों कमशः 1. मैसर्स लखानी एजेन्सीज, बाँसवाडा, 2. मैसर्स श्री शाकम्बरी टी कम्पनी, बाँसवाडा 3. मैसर्स प्रकाशचन्द माणकलाल, कुशलगढ़ 4. मैसर्स फडिया सौभागमल निहालचंद, झूंगरपुर, तथा हिण्डोन की फर्म 5. मैसर्स आस्था मार्केटिंग, हिण्डोन सिटी, 6. मैसर्स गोकुलचंद मांगीलाल, हिण्डोन सिटी एवं 7. मैसर्स कमल एण्ड कम्पनी, हिण्डोन सिटी से आलोच्य वर्ष में 20 प्रतिशत कर चुका कर बीड़ी की खरीद की गई है तथा मैसर्स महावीर प्रसाद रविन्द्र कुमार, फतेहाबाद (हरियाणा) को घोषणा प्रपत्र "सी" के विरुद्ध 2 प्रतिशत केन्द्रीय विक्रय कर वसूल कर अन्तरराज्यीय विक्रय करना घोषित किया गया। इसके अतिरिक्त जांच अधिकारी ने जांच के दौरान अपीलार्थी के दाहोद रोड स्थित गोदाम के स्पेयर पार्ट इनचार्ज श्री प्रदीप कुमार पाण्डेया के बयान भी लिये गये। इस प्रकार जांच अधिकारी द्वारा समस्त जांच रिपोर्टों एवं दस्तावेजों की जांच के उपरांत करापवचन का संदेह होने के कारण श्रीमान् उपायुक्त (प्रशासन) के आदेश क्रमांक प.37()/कर/उपा./उदय/12/1605 दिनांक 10.10.2012 की अनुपालना में वाद के निस्तारण हेतु पत्रावली नियमित कर निर्धारण अधिकारी सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत्त-बाँसवाडा को स्थानांतरित की गई। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अपीलार्थी के भागीदार श्री अनिल सिंघल ने अपने बयानों में बताया कि बीड़ी की खरीद स्थानीय विक्रेताओं से की गई है एवं ट्रांसपोर्टरों को विक्रेताओं के गोदाम से माल का लदान कर मैसर्स महावीर प्रसाद रविन्द्र कुमार, फतेहाबाद (हरियाणा) को माल की डिलेवरी देने हेतु निर्देश दिये गये थे। उन्होंने बयान में यह भी बताया कि कई बार बीड़ी अपीलार्थी फर्म के दाहोद रोड स्थित गोदाम पर लाई जाती थी तथा वहा से ट्रांसपोर्ट कम्पनी के वाहन में बीड़ी भरकर फतेहाबाद,

१४-१२-२०१५

-३६७-

लगातार.....3

(हरियाणा) भेजी जाती थी। इसके अतिरिक्त भागीदार श्री अनिल सिंघल द्वारा माल भाडे के संबंध में कथन किया कि माल भाडा कई मर्तबा क्रेता द्वारा तथा कई बार अपीलार्थी स्वयं द्वारा भी दिया जाता था। ट्रांसपोर्ट कम्पनी के बारे में श्री अनिल सिंघल ने बयान दिया कि माल का अन्तरराज्यीय परिवहन मैसर्स श्री गणेश ट्रांसपोर्ट कम्पनी एवं अन्य ट्रांसपोर्ट कम्पनियों के द्वारा किया गया। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी के दाहोद रोड स्थित गोदाम के स्पेयर पार्ट्स इनचार्ज श्री प्रदीप कुमार पाण्डेया के बयान भी लिये गये जिसके अनुसार उक्त गोदाम पर बीड़ी आदि को कभी भी लोड अथवा अनलोड होते हुये उसने नहीं देखा है। हिण्डोन सिटी के व्यवसाईयों यथा मैसर्स लखानी बर्दस एवं मैसर्स श्री शाकम्बरी कम्पनी के मालिकों ने बयान किया कि बीड़ी की डिलेवरी अपीलार्थी के मुनीम को हिण्डोन में दी गई तथा माल का परिवहन मुनीम द्वारा ही कराया गया एवं भाडा भी मुनीम द्वारा ही दिया गया है। मैसर्स प्रकाशचंद माणकलाल, कुशलगढ़ एवं मैसर्स फडिया सौभागमल निहालचंद, झूंगरपुर ने बयान में कहा कि बीड़ी की डिलेवरी कुशलगढ़ एवं झूंगरपुर में अपीलार्थी फर्म को ही दी गई। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पाया गया कि अपीलार्थी के भागीदार श्री अनिल सिंघल ने अपने बयान में पहले यह बताया कि ट्रांसपोर्टर को विक्रेताओं के गोदाम से बीड़ी सीधे मैसर्स महावीर प्रसाद रविन्द्र कुमार, फतेहाबाद (हरियाणा) को डिलेवरी देने हेतु निर्देश दिये गये थे, बाद में बयान किया कि कभी—कभी वह सीधे ही विक्रेताओं के व्यवसाय स्थल से माल भरवाकर अन्तरराज्यीय परिवहन करवाता था तथा कभी—कभी बीड़ी अपीलार्थी के दाहोद रोड स्थित गोदाम में लाता था तथा यहाँ से माल का अन्तरराज्यीय परिवहन करवाता था। माल भाडे के संबंध में अपीलार्थी के भागीदार श्री अनिल सिंघल ने बयान में कहा कि माल भाडा क्रेता द्वारा चुकाया जाता है तथा कभी—कभी अपीलार्थी फर्म स्वयं भी भाडा देती थी। ट्रांसपोर्ट कम्पनी के संबंध में श्री अनिल कुमार सिंघल ने बयान दिया कि माल का परिवहन मैसर्स श्री गणेश ट्रांसपोर्ट कम्पनी द्वारा करवाया गया था तथा कुछ अन्य ट्रांसपोर्ट कम्पनियों द्वारा भी माल का परिवहन कराया जाता था जिनके नाम उसे याद नहीं हैं तथा इस संबंध में उसके द्वारा श्री गणेश ट्रांसपोर्ट कम्पनी द्वारा जारी 14 बिल्टियों की छाया प्रतियां प्रस्तुत की गई एवं शेष बिल्टियों के बारे में उसके द्वारा बताया गया कि उसका मुनीम श्री बाबूलाल गुप्ता नौकरी छोड़कर जा चुका है तथा मुनीम से सम्पर्क कर बिल्टियां पेश कर देगा। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मैसर्स श्री गणेश ट्रांसपोर्ट कम्पनी के मालिक श्री संदीप अग्रवाल के बयान लिये तथा उसने बयान में बताया कि अपीलार्थी फर्म बीड़ी उसकी ट्रांसपोर्ट कम्पनी को भेजता था उसके पश्चात् ट्रक द्वारा बीड़ी फतेहाबाद (हरियाणा) भेजी जाती थी। इन समस्त बयानों के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया की राजस्थान में स्थित विक्रेताओं के गोदाम से बीड़ी का अपीलार्थी के गोदाम तक का परिवहन का भाडा अपीलार्थी द्वारा ही भुगतान किया जाता रहा है जबकि अपीलार्थी की रोकड़बही एवं ऑडिट रिपोर्ट में बीड़ी परिवहन का भाडा दर्ज नहीं है। कर

निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के स्पेयर इनचार्ज श्री प्रदीप कुमार पाण्डेया के बयान को भी महत्वपूर्ण माना गया कि जिसने यह बयान दिया कि अपीलार्थी के दाहोद रोड, बाँसवाडा स्थित गोदाम पर उसने कभी भी बीड़ी लोड अथवा अनलोड होते नहीं देखा। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा फर्म के भागीदार के बयानों के आधार पर यह भी पाया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत विक्रय बिलों में ट्रांसपोर्ट कम्पनी के नाम जैसे एम.वी.एफ.सी., एस.जी.टी.सी., राजस्थान दिल्ली ट्रांसपोर्ट एवं न्यू गुप्ता ट्रांसपोर्ट एवं बिल्टी संख्या अंकित किये गये अतः जब बिल्टियां अपीलार्थी के पास उपलब्ध नहीं थीं तब ट्रांसपोर्ट कम्पनियों का नाम अथवा बिल्टियां नम्बर कहा से आये। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह भी पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा बीड़ी खरीद के पेटे किये गये भुगतान को विक्रेता द्वारा एक अथवा दो दिन पश्चात् चैक से वापिस लौटा दिये गये हैं। अतः उपरोक्त बयानों, जांच अधिकारी द्वारा संग्रहित किये गये दस्तावेज एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत रोकड़बही से कर निर्धारण अधिकारी यह निष्कर्ष निकाला कि ना तो राजस्थान के विक्रेताओं द्वारा अपीलार्थी को बीड़ी का विक्रय किया गया है एवं ना ही अपीलार्थी द्वारा बीड़ी की खरीद की गई है एवं केवल बिलों का स्थानांतरण हुआ है तथा चैक से भुगतान कर अपीलार्थी द्वारा चैक से या अन्य माध्यम से रकम प्राप्त की गई है। माल भाड़े का भुगतान अपीलार्थी एवं राज्य के विक्रेता के रोकड़ बही में इन्द्राजित नहीं होना एवं माल परिवहनित करने वाली ट्रांसपोर्ट कम्पनियां एवं बिल्टियों के बारे में अपीलार्थी को जानकारी नहीं होने को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इस बात का स्पष्ट प्रमाण माना है कि अपीलार्थी द्वारा बीड़ी की खरीद नहीं की गई। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह भी पाया गया कि राज्य के विक्रेताओं से ट्रांसपोर्ट कम्पनी तक के माल का परिवहन अपीलार्थी की लेखा बहियों में दर्ज नहीं होने से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा बीड़ी की खरीद राज्य में नहीं की गई है एवं मात्र राज्य के व्यवसाईयों से बिल प्राप्त किये गये हैं। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह भी पाया गया कि राज्य के समस्त विक्रेताओं द्वारा यह बयान किया गया कि उनके द्वारा बीड़ी की डिलेवरी उनके गोदाम पर अपीलार्थी को दी गई है ऐसी स्थिति में हिण्डोन सिटी, कुशलगढ़, झूंगरपुर एवं बाँसवाडा से ट्रांसपोर्ट कम्पनी तक माल परिवहन करने व लोडिंग अथवा अनलोडिंग का खर्च अपीलार्थी द्वारा ही चुकाया जाता था लेकिन अपीलार्थी की लेखा पुस्तकों में परिवहन खर्च व लोडिंग अथवा अनलोडिंग का खर्च दर्ज नहीं किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह भी पाया गया कि अन्तरराज्यीय विक्रय के लोट के लिये विक्रय बिल जारी किया गया जिसमें बाँसवाडा से खरीदी गई बीड़ी के साथ ही हिण्डोन सिटी, कुशलगढ़ एवं झूंगरपुर से खरीद की गई बीड़ी भी शामिल है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह भी पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्तरराज्यीय बिलों की फोटो प्रतियों पर छाया प्रति करवाने के पश्चात् पेन से ट्रांसपोर्ट कम्पनियों के नाम व बिल्टी नम्बर अंकित किये गये हैं जिससे स्पष्ट है कि फोटो कौपी करवाते समय अपीलार्थी के पास बिल्टियां थीं तब अपीलार्थी ने बिल्टियां क्यों

18-12-2015

- ३६३ -

लगातार.....5

नहीं पेश की। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह निष्कर्ष भी था कि हरियाणा के बड़े शहरों में राष्ट्रीय स्तर की बीड़ी के डिपो स्थित हैं जहाँ से बीड़ी सस्ते भावों में उपलब्ध हो सकती है तथा दो राज्यों में भी इसके भाव में इतना अन्तर नहीं हो सकता की कोई व्यवसाई इस तरह से एक राज्य से दूसरे राज्य में माल का गमन करवाकर लाभ कमा सके। कर निर्धारण अधिकारी ने यह भी निष्कर्ष निकाला है कि अपीलार्थी मोटर साईकिल का ऑथराइज़ेड डिलर है एवं डिलरशीप की शर्तों के अनुसार व अन्य वस्तुओं का व्यापार नहीं कर सकता तथा फर्म का कार्यालय एवं गोदाम में अन्य वस्तुओं का भण्डारण नहीं कर सकता तथा विक्रय बिल बुक में से भी अन्य वस्तुओं की बिक्री नहीं कर सकता अन्यथा उसकी डिलरशीप समाप्त हो सकती है तब अपीलार्थी द्वारा इतनी जोखिम लेकर बीड़ी खरीद बिक्री का कार्य कैसे कर लिया गया तथा फर्म के गोदाम को बीड़ी भण्डारण हेतु कैसे काम में ले लिया गया।

इसके अतिरिक्त कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मैसर्स महावीर प्रसाद रविन्द्र कुमार, फतेहाबाद (हरियाणा) के मालिक श्री रामनिवास के बयान भी कलमबद्ध किये गये जिन्होंने बयान दिया कि माल भाड़ा विक्रेता मैसर्स भारत मोटर्स, बाँसवाडा द्वारा चुकाया गया था। अन्तरराज्यीय खरीद के संबंध में क्रेता द्वारा खरीद बिल, हरियाणा बिक्री कर विभाग द्वारा निर्धारित फार्म एल.पी.-3 की छाया प्रति, अन्तरराज्यीय बीड़ी खरीद के लिये जारी घोषणा प्रपत्र “सी” की छाया प्रति एवं खाते की प्रति तथा हरियाणा बिक्री विभाग में प्रस्तुत रिटर्न की छाया प्रतियां प्रस्तुत की। श्री गणेश ट्रांसपोर्ट कम्पनी, बाँसवाडा के मालिक श्री संदीप अग्रवाल ने बयान किया कि अपीलार्थी द्वारा बीड़ी उसकी ट्रांसपोर्ट कम्पनी भेजी जाती थी जहाँ से 1-2 दिन पश्चात् ट्रक द्वारा हरियाणा भेजी जाती थी एवं भाड़ा मैसर्स भारत मोटर्स, बाँसवाडा द्वारा रोकड़ दिया जाता था। उसने यह भी कथन किया कि बिलिट्यां पैड की बनाई जाती थी एवं भाड़े की रसीद मैसर्स भारत मोटर्स को नहीं दी जाती थी। मैसर्स महावीर प्रसाद रविन्द्र कुमार, फतेहाबाद (हरियाणा) एवं श्री गणेश ट्रांसपोर्ट कम्पनी के बयानों से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि माल भाड़ा अपीलार्थी द्वारा चुकाया गया है। अतः अपीलार्थी का यह कहना कि अन्तरराज्यीय परिवहन भाड़ा मैसर्स महावीर प्रसाद रविन्द्र कुमार, फतेहाबाद हरियाणा द्वारा चुकाया गया है, गलत है, क्योंकि बाँसवाडा से अन्तरराज्यीय परिवहन करवाया जाना अपीलार्थी के भागीदार ने स्वीकार किया गया है तथा अन्तरराज्यीय परिवहन की बिलिट्यां भी पैड की बनी हुयी हैं जो स्पष्ट करती है कि माल का परिवहन प्रारम्भ होने से पूर्व परिवहन व्यय चुका दिया गया था, लेकिन अपीलार्थी द्वारा रोकड़ में कही भी बीड़ी परिवहन का भाड़ा दर्ज नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह भी निष्कर्ष निकाला गया कि श्री गणेश ट्रांसपोर्ट कम्पनी द्वारा जारी बिल्टी संख्या 317 से 338 तक की बिलिट्यां मैसर्स भारत मोटर्स, बाँसवाडा के बीड़ी के अन्तरराज्यीय विक्रय से संबंधित हैं जो माह नवम्बर एवं दिसम्बर 2010 में जारी की गई है। जबकि बिल्टी संख्या 316


जून 2012 में व बिल्टी संख्या 339 जून 2012 में जारी की गई है जो प्रमाणित करता है कि ट्रांसपोर्ट कम्पनी की माह जून 2012 की नियमित बिल्टी बुक में से पिछली तिथियों नवम्बर एवं दिसम्बर की वर्ष 2012 की बिल्टियां जारी की गई है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मैसर्स महावीर प्रसाद रविन्द्र कुमार, फतेहाबाद (हरियाणा) के बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता संख्या 33560400000005 तथा स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के खाता संख्या 65041131067 की छाया प्रतियों तथा बैंक ऑफ बड़ौदा की बॉसवाडा एवं आसपास के क्षेत्रों में स्थित शाखाओं में मैसर्स महावीर प्रसाद रविन्द्र कुमार द्वारा मैसर्स भारत मोटर्स को आर.टी.जे.एस चैक जारी करने की तिथि 1-2 दिन पूर्व लगभग उतनी ही राशि नकद जमा करवाई गयी जितने का चैक जारी किये गये। जमा पर्चियों पर जमाकर्ता के रूप में अलग-अलग हस्ताक्षर किये गये लेकिन जमा पर्चियों पर अंकित लिखावट व अपीलार्थी के अन्तरराज्यीय बिलों की अंकित लिखावट एक समान है। सभी जमा पर्चियों पर मैसर्स महावीर प्रसाद रविन्द्र कुमार, फतेहाबाद (हरियाणा) के मालिक के पेन नम्बर अंकित है। मैसर्स महावीर प्रसाद रविन्द्र कुमार के मालिक श्री रामनिवास ने बयान किया कि वे बॉसवाडा व आसपास के क्षेत्रों में नकद राशि लेकर बीड़ी खरीदने जाते थे तथा बीड़ी नहीं मिलने पर नकद राशि बैंक में जमा करवाते थे। इसके अतिरिक्त कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह भी पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा जिन ब्राण्डों की बीड़ियां मैसर्स महावीर प्रसाद रविन्द्र कुमार, फतेहाबाद (हरियाणा) को बिक्री करना बताया है वह देश की ख्यातिनाम कम्पनियों द्वारा बनाई जाती है तथा इन कम्पनियों के हरियाणा के विभिन्न बड़े शहरों में भी डिपों है तथा सीमावर्ती राजस्थान के क्षेत्रों में भी डिपों है तब फतेहाबाद का व्यवसायी बॉसवाडा व आसपास के क्षेत्रों में नकद राशि लेकर बीड़ी खरीदने क्यों आयेगा तथा वह क्यों अपीलार्थी से इन ब्राण्डों की बीड़ी खरीदेगा। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि अपीलार्थी द्वारा ना तो राज्य के भीतर से बीड़ी की खरीद की गई एवं ना ही बीड़ी का अन्तरराज्यीय विक्रय किया गया। केवल खरीद बिलों की व्यवस्था एवं रूपयों का आदान प्रदान किया गया है। अपीलार्थी द्वारा उक्त कृत्य इसलिये किया गया कि क्योंकि आलोच्य अवधि में राजस्थान में बीड़ी पर वैट 20 प्रतिशत था तथा सी फार्म के विरुद्ध अन्तरराज्यीय विक्रय पर 2 प्रतिशत केन्द्रीय बिक्री कर लगता था। चूँकि अपीलार्थी मोटर साईकिल का आयातकर्ता है इसलिये मासिक कर लगभग रूपये 10 लाख जमा करना पड़ता है। आयातकर्ता होने के कारण उसे खरीद पर आगत कर का समायोजन नहीं मिलता था। मोटर साईकिल पर देय कर से बचने के लिये अपीलार्थी ने बीड़ी की राज्य के भीतर से खरीद बताकर उसकी घोषणा प्रपत्र 'सी' फार्म के विरुद्ध अन्तरराज्यीय बिक्री दर्शा कर, देय कर की चोरी योजना बनाई। इसके लिये स्थानीय विक्रेताओं, ट्रांसपोर्ट कम्पनी एवं हरियाणा के व्यवसाई को इस कृत्य में शामिल कर तथा उनके सहयोग से फर्जी खरीद बिल प्राप्त किये तथा अन्तरराज्यीय परिवहन की फर्जी बिलियां प्राप्त की। अपीलार्थी द्वारा फर्जी बिल जारी किये गये तथा

19-12-2015

कृत्रिम रूप से पैदा किये गये आगत कर का समायोजन मोटर साईकिल की बिक्री पर देयकर के पेटे देय कर की वंचना की है। अतः उक्त आरोपों के संबंध में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 12.10.2012 को दिनांक 25.10.2012 के लिये नोटिस जारी किया गया। नोटिस के जवाब में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब से असंतुष्ट होकर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 25 सप्तित 18, 55, 58 व 61 सप्तित धारा 3 केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के तहत अपीलार्थी द्वारा कलेम किया गया आगत कर रूपये 72,15,927/- को अस्वीकार किया तथा उक्त राशि पर अधिनियम की धारा 61(2)(बी) के तहत शास्ति रूपये 1,44,31,854/- एवं ब्याज रूपये 15,05,534/- का आरोपण किया गया, जिसे इस अपील में विवादित किया गया है।

अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय आदेश को अविधिक बताते हुये कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्णय करते समय अपीलार्थी द्वारा वक्त अपील सुनवाई प्रस्तुत की बहस/साक्ष्य एवं माननीय न्यायालयों के निर्णय का अवलोकन किये बिना ही आदेश पारित किया गया है जो कि न्यायोचित नहीं है। अपीलार्थी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने कथन किया कि अपीलार्थी ने वर्ष 2010–11 की तृतीय तिमाही में बीड़ी का कारोबार शुरू किया जिसके लिये उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष रा.मू.प.क.अ, 2003/ केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अंतर्गत संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे स्वीकार करते हुये कर निर्धारण अधिकारी ने बीड़ी को रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्रों में शामिल किया। तत्पश्चात् अपीलार्थी द्वारा बीड़ी की खरीद एवं बिक्री का कारोबार शुरू किया गया।

विद्वान अभिभाषक का कथन है कि अपीलार्थी द्वारा राजस्थान में बीड़ी के थोक विक्रेताओं से जो कि अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत फर्म थी, से बीड़ी क्रय की गई। अपीलार्थी द्वारा मैसर्स लखानी एजेन्सीज, बाँसवाड़ा, मैसर्स श्री शाकम्बरी टी कम्पनी, बाँसवाड़ा, मैसर्स प्रकाशचन्द माणकलाल, कुशलगढ़, मैसर्स फडिया सौभाग्यमल निहालचंद, डूंगरपुर, तथा हिण्डोन सिटी की फर्म, मैसर्स आस्था मार्केटिंग, हिण्डोन सिटी, मैसर्स गोकुलचंद मांगीलाल, हिण्डोन सिटी एवं मैसर्स कमल एण्ड कम्पनी, हिण्डोन सिटी से आलोच्य वर्ष में 20 प्रतिशत कर चुका कर बीड़ी की खरीद की गई है तथा मैसर्स महावीर प्रसाद रविन्द्र कुमार, फतेहाबाद (हरियाणा) को घोषणा प्रपत्र "सी" के विरुद्ध 2 प्रतिशत केन्द्रीय विक्रय कर वसूल कर अन्तरराज्यीय विक्रय करना घोषित किया गया। अपीलार्थी मूलतः मार्बल का व्यवसाय करता है एवं मार्बल को परिवहनित करने के लिये उसके द्वारा पार्टनर श्री अनिल सिंघल के नाम से टिप्पर खरीदा गया है। जब भी उक्त टिप्पर मार्बल पहुंचाने किसी भी क्षेत्र में जाता था तो माल उतारने के पश्चात् उसे बाँसवाड़ा खाली आना पड़ता है अतः भाड़ा बचाने के लिये अपीलार्थी द्वारा अपने टिप्पर में ही आसपास के क्षेत्रों से माल लदान कर मंगवाया जाता था। बाँसवाड़ा एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में स्थित बीड़ी के


१५-१२-२०१५

२५६३

लगातार.....8

व्यापारियों के व्यापार स्थल से अपीलार्थी द्वारा अपने टिप्पर में माल ट्रांसपोर्ट कम्पनी के गोदाम तक पहुँचाया गया तथा कभी—कभी माल उसके दोहाद रोड, बांसवाडा स्थित गोदाम पर भी लाया गया जिसे स्वयं के वाहन से ट्रांसपोर्ट कम्पनी भेजकर फतेहाबाद के लिये परिवहनित कराया गया। हिण्डोन में स्थित बीड़ी के व्यवसाईयों के यहाँ से बीड़ी ट्रांसपोर्ट कम्पनी के ट्रकों द्वारा सीधे फतेहाबाद (हरियाणा) परिवहनित की गई। अपीलार्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत जवाब के साथ अपीलार्थी फर्म के पार्टनर श्री अनिल सिंघल के नाम से परिवहन विभाग में पंजीकृत टिप्पर का पंजीयन प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत कर दिया गया था, लेकिन कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इसके विपरीत यह मानते हुये कि अपीलार्थी द्वारा भाड़े से संबंधित खर्च अपनी लेखा बहियों में दर्ज नहीं किये हैं कर, व्याज एवं शास्ति का आरोपण किया गया है जो कि अविधिक है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि का यह भी कथन है कि राजस्थान में स्थित बीड़ी के विक्रेताओं को अपीलार्थी द्वारा आरटीजीएस/चैक से भुगतान किया है जो कि उसके द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत बैंक स्टेटमेंट से स्पष्ट है। इसी प्रकार क्रेता मैसर्स महावीर प्रसाद रविन्द्र कुमार, फतेहाबाद (हरियाणा) द्वारा समस्त भुगतान आरटीजीएस से किया गया है। राज्य में स्थित विक्रेता व्यवसाईयों द्वारा समस्त बिक्री उनके द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग में प्रस्तुत त्रैमासिक बिक्री विवरणियों में घोषित की है एवं उनके द्वारा अपीलार्थी से वसूल किया गया बीड़ी के विक्रय पर 20 प्रतिशत कर भी राजकोष में जमा कराया गया है। इसी प्रकार अपीलार्थी द्वारा अन्तरराज्यीय विक्रय के क्रम में की गई बिक्री को अपीलार्थी द्वारा उनके त्रैमासिक बिक्री विवरणियों में घोषित किया गया है। क्रेता व्यवसाई मैसर्स महावीर प्रसाद रविन्द्र कुमार, फतेहाबाद (हरियाणा) द्वारा बीड़ी की खरीद के संबंध में घोषणा प्रपत्र “सी” जारी किये गये हैं जो कि इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि अपीलार्थी द्वारा अन्तरराज्यीय विक्रय के क्रम में बीड़ी का विक्रय किया गया है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि का यह भी कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा राज्य में स्थित विक्रेता, फतेहाबाद (हरियाणा) में स्थित क्रेता, ट्रांसपोर्ट कम्पनी के प्रोपराईटर श्री संदीप अग्रवाल एवं अपीलार्थी फर्म के पार्टनर श्री अनिल सिंघल के बयान कलमबद्ध किये गये थे। राज्य में स्थित समस्त विक्रेताओं ने अपीलार्थी को बीड़ी के बेचान को स्वीकार किया है। इसी प्रकार क्रेता मैसर्स महावीर प्रसाद रविन्द्र कुमार, फतेहाबाद (हरियाणा) द्वारा भी अपीलार्थी से बीड़ी खरीदना स्वीकार किया गया है। श्री संदीप अग्रवाल प्रोपराईटर श्री गणेश ट्रांसपोर्ट कम्पनी द्वारा भी माल का परिवहन बांसवाडा से फतेहाबाद (हरियाणा) करना स्वीकार किया गया है अतः कर निर्धारण अधिकारी का मत कि अपीलार्थी द्वारा किये गये संव्यवहार मात्र कागजी संव्यवहार है सर्वथा अनुचित एवं तथ्यों के विपरीत है।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि राज्य में स्थित बीड़ी विक्रेताओं द्वारा अपीलार्थी से संग्रहित 20 प्रतिशत कर राजकोष में जमा कराया गया है एवं ट्रैमासिक बिक्री विवरणियों में बिक्री को घोषित किया गया है। विक्रेता व्यवसाई मैसर्स प्रकाश चंद माणकलाल नाहटा, मैसर्स शाकम्बरी टी कम्पनी एवं मैसर्स लखानी एजेन्सीज का कर निर्धारण भी वर्तमान कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ही किया गया है एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उनके द्वारा की गई बीड़ी के राज्य के भीतर किये गये विक्रय को स्वीकार करते हुये कर निर्धारण आदेश पारित किये हैं। अतः जब स्वयं कर निर्धारण अधिकारी विक्रेताओं द्वारा अपीलार्थी को की गई बिक्री को सही मान रहे तब अपीलार्थी द्वारा उक्त व्यवसाईयों से किये गये क्रय एवं अन्तरराज्यीय क्रम में दौरान किये गये विक्रय को कैसे गलत ठहरा सकते हैं। इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा वक्त सुनवाई राज्य के विक्रेता व्यवसाईयों के कर निर्धारण आदेशों की छाया प्रतियां पेश की जिसे शामिल पत्रावली किया गया ।

विद्वान अभिभाषक का यह भी कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी ने उसके द्वारा लिये गये अपीलार्थी फर्म के पार्टनर श्री अनिल सिंघल के बयान को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया है। श्री अनिल सिंघल द्वारा स्पष्ट रूप से यह बयान किया गया था कि माल की डिलेवरी राज्य के बाहर करने के लिये परिवहन खर्च हरियाणा की पार्टी द्वारा वहन किये गये एवं ट्रांसपोर्टशन चार्ज उनके द्वारा कभी भी वहन नहीं किये गये। उनके द्वारा मात्र एक बार परिवहन खर्चों से संबंधित एक चैक जारी किया गया था जिसका भी भुगतान आगे वाली खरीदार पार्टी द्वारा किये जाने से वह चैक सिकराया नहीं गया। अतः कर निर्धारण अधिकारी का यह मत कि अपीलार्थी द्वारा परिवहन खर्च लेखा बहियों में दर्ज नहीं किये अनुचित है, विशेष कर उस स्थिति में जबकि अपीलार्थी द्वारा बांसवाड़ा एवं आसपास के क्षेत्रों में स्थित माल का परिवहन ट्रासंपोर्ट कम्पनी के व्यवसाय स्थल तक स्वयं के वाहन से किया है एवं हिण्डोन से माल ट्रांसपोर्ट कम्पनी के द्वारा सीधे फतेहाबाद, (हरियाणा) परिवहनित किया गया। अतः जब अपीलार्थी द्वारा परिवहन से संबंधित खर्च का भुगतान ही नहीं किया गया तब उक्त खर्चों का लेखा बहियों में इन्द्राज होना सम्भव ही नहीं है। इस संदर्भ में अपीलार्थी के अभिभाषक का तर्क है कि अपीलार्थी के द्वारा उक्त स्थिति अपने बयानों में स्पष्ट कर दी गयी थी अतः कर निर्धारण अधिकारी का यह दायित्व था कि वह क्रेता श्री रामनिवास प्रोपराईटर मैसर्स महावीर प्रसाद रविन्द्र कुमार, फतेहाबाद, हरियाणा के बयान कलमबद्ध करते समय उनसे इस संबंध में स्पष्टीकरण लेते, लेकिन कर निर्धारण अधिकारी ने जानबूझकर उक्त फर्म से इस संबंध में जानकारी जुटाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध बनाये गये प्रकरण को सशक्त बनाने के लिये जानबूझकर श्री रामनिवास के बयान कलमबद्ध करते वक्त इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं लिया गया एवं इसके विपरीत परिवहन खर्चों को अपीलार्थी द्वारा लेखा बहियों में इन्द्राज नहीं करने को अपीलार्थी के विरुद्ध आदेश पारित करने में मुख्य आधार बनाया है ।

362

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अग्रिम कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के दाहोद रोड स्थित गोदाम के स्पेयर पार्ट इनचार्ज श्री प्रदीप कुमार पाण्डेया के बयान को भी आधार बनाया है जिसमें उनके द्वारा कथन किया गया कि उन्होंने दाहोद रोड, बांसवाडा स्थित गोदाम पर बीड़ी आदि को कभी लोड अथवा अनलोड होते हुये नहीं देखा। जबकि श्री प्रदीप कुमार पाण्डेया केवल मोटर साईकिल के वर्क शॉप में स्थित स्पेयर पार्ट्स से संबंधित कार्य देखता था एवं उसको अपीलार्थी द्वारा किये गये अन्य किसी व्यापार से संबंधित जानकारी नहीं थी। कर निर्धारण अधिकारी ने श्री प्रदीप कुमार पाण्डेया के बयान लिये थे लेकिन बयान लेने के तुरन्त बाद श्री प्रदीप कुमार पाण्डेया ने अपने दिये गये बयान को बदल दिया था। अपीलार्थी फर्म के पार्टनर श्री अनिल सिंघल द्वारा इस संबंध में अपने बयानों में स्पष्ट उल्लेखित किया है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा श्री प्रदीप कुमार पाण्डेया के पृथकता बयान लिये गये जिसे उन्होंने पढ़ा एवं बयान में संशोधन कराया कि फर्म में किये जाने वाले अन्य प्रकार के व्यवसाय की श्री प्रदीप कुमार पाण्डेया को जानकारी नहीं है। अतः कर निर्धारण अधिकारी का यह मत कि जब श्री प्रदीप कुमार पाण्डेया ने अपीलार्थी के दाहोद रोड, बांसवाडा स्थित गोदाम पर बीड़ी को लोड-अनलोड होते हुये नहीं देखा तब अपीलार्थी द्वारा किये गये संव्यवहार गोगस है उचित नहीं है।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि अपीलार्थी द्वारा श्री गणेश ट्रासंपोर्ट कम्पनी, बांसवाडा द्वारा जारी 14 बिल्टियों की छाया प्रतियां कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई थीं, शेष बिल्टियां प्रस्तुत करने हेतु इस आधार पर समय चाहा गया था कि उसका मुनीम नौकरी छोड़कर चला गया है एवं उससे सम्पर्क होने के पश्चात् प्रस्तुत कर दी जायेगी। लेकिन कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को बिल्टियां प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया गया। इस कारण अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष शेष बिल्टियां प्रस्तुत कर दी गई थीं। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत विक्रय बीजकों की छाया प्रतियों पर पैन से लिखे ट्रासंपोर्ट कम्पनियों के नाम एवं बिल्टी नम्बर को भी कर निर्धारण आदेश पारित करने का आधार बनाया है। कर निर्धारण अधिकारी का आक्षेप है कि अपीलार्थी के पास अन्तरराज्यीय विक्रय के संबंध में बिल प्रस्तुत करते वक्त समस्त बिल्टियां मौजूद थीं अतः उसके द्वारा मात्र 14 बिल्टियां प्रस्तुत करना उसके आचरण को दर्शाता है, जबकि ट्रासंपोर्ट द्वारा बिल्टी बनाते ही, ट्रांसपोर्टर का नाम व बिल्टी संख्या विक्रय बीजक पर अंकित कर दी जाती है ताकि स्टॉक की स्थिति एवं माल की बिक्री लेखा बहियों में स्पष्ट हो सके एवं संबंधित क्रेता व्यवहारी को भी सूचित किया जा सके। अतः विक्रय बीजकों पर पैन से ट्रांसपोर्ट कम्पनी का नाम एवं बिल्टी संख्या लिखना ना तो अनुचित है एवं ना ही किसी भी कानून की अवहेलना है। विद्वान अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी का आक्षेप कि अपीलार्थी के संव्यवहार माह नवम्बर 2010 में किये गये

है, जबकि ट्रांसपोर्ट कम्पनी ने उसी बिल्टी बुक में से वर्ष 2012 की भी बिल्टी जारी की है भी निराधार है, क्योंकि बिल्टी जारी करने का कार्य ट्रांसपोर्ट कम्पनी का होता है एवं वह किस बिल्टी बुक में से बिल्टी जारी करता है यह अपीलार्थी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। अपीलार्थी के अभिभाषक ने यह भी तर्क दिया कि बिल्टी जारी करना संव्यवहार के संबंध में मात्र तकनीकी पहलू है जबकि श्री गणेश ट्रांसपोर्ट कम्पनी के प्रोपराईटर श्री संदीप अग्रवाल द्वारा अपने बयान में यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उनकी ट्रांसपोर्ट कम्पनी द्वारा अपीलार्थी फर्म का माल बाँसवाडा से फतेहाबाद (हरियाणा) परिवहनित करवाया है। अतः कर निर्धारण अधिकारी का यह आक्षेप पूर्णतया तथ्यों के विपरीत है। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी का आक्षेप कि हरियाणा के व्यवसाई का बाँसवाडा से बीड़ी खरीदना इसलिये भी संदेह उत्पन्न करता है क्योंकि हरियाणा के बडे शहरों में सभी ख्यातीनाम बीड़ी निर्माताओं के डिपो स्थित हैं जहाँ से बीड़ी सस्ते भावों में उपलब्ध हो सकती थी भी तथ्यों के विपरीत है, क्योंकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा हरियाणा एवं राजस्थान में बीड़ी की दर के संबंध में कोई जांच नहीं की गई ना ही इस संबंध में कोई जांच रिपोर्ट कर निर्धारण पत्रावली पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त क्रेता कहाँ से माल क्रय करे यह उसके स्वाविक पर निर्भर है एवं हरियाणा के व्यापारी का राजस्थान से बीड़ी क्रय करना किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं है एवं यह उसका संविधान द्वारा प्रदत्त मूल भूत अधिकार है। इसके अतिरिक्त कर निर्धारण अधिकारी का दायित्व था कि उसके द्वारा हरियाणा के क्रेता के बयान कलमबद्ध करते समय इस संबंध में स्पष्टीकरण लेना चाहिए था जिसका की वर्तमान प्रकरण में अभाव है अतः कर निर्धारण अधिकारी का उक्त आक्षेप निराधार है।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अग्रिम कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा लगाया गया आक्षेप कि अपीलार्थी मोटर साईकिल का ऑथराईजड डिलर है एवं डिलरशीप की शर्तों के अनुसार वह अन्य वस्तुओं का व्यापार नहीं कर सकता तथा फर्म का कार्यालय एवं गोदाम में अन्य वस्तुओं का भण्डारण नहीं कर सकता भी अनुचित एवं तथ्यविहिन है। अधिकृत प्रतिनिधि का इस संबंध में कथन है कि उसके द्वारा किये गये व्यापार से संबंधित वार्षिक लेखा मैसर्स बजाज ऑटो लिमिटेड को प्रस्तुत किया जाता है तथा उनके अंकेक्षक अपीलार्थी के व्यवसाय स्थल पर आकर अंकेक्षण कार्य करते हैं, लेकिन इस संबंध में उनके द्वारा कभी भी किसी प्रकार की आपत्ति नहीं की गई। इसके अतिरिक्त कर निर्धारण अधिकारी द्वारा भी इस संबंध में कोई साक्ष्य जुटाने का प्रयास नहीं किया गया जिससे की उनके द्वारा लगाये गये उपरोक्त आक्षेप सही साबित हो सके। पत्रावली पर इस संबंध में ना तो मैसर्स बजाज ऑटो लिमिटेड व अपीलार्थी के मध्य किये गये डीलरशीप का अनुबंध उपलब्ध है एवं ना ही इस संबंध में अन्य कोई दस्तावेज उपलब्ध है।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अग्रिम कथन किया गया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह आक्षेप लगाया गया है कि उसके द्वारा जितनी राशि राज्य के विक्रेताओं को बीड़ी की खरीद की एवज् में दी गई उतनी ही राशि उक्त खरीदारों ने अपीलार्थी को आरटीजीएस के माध्यम से पुनः लौटा दी। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इस संबंध में यह आक्षेप लगाया है कि अपीलार्थी को मैसर्स प्रकाश चंद माणकलाल द्वारा दिनांक 10.12.2010 को रूपये 9,92,940/- लौटाये गये। इसी तरह मैसर्स लखानी एजेन्सीज द्वारा दिनांक 12.01.2011 को रूपये 507600/- लौटाये गये एवं मैसर्स श्री शाकम्बरी टी कम्पनी द्वारा दिनांक 25.02.2011 एवं 08.03.2011 को रूपये 4,00,000/- एवं 10,00,000/- लौटाये गये। जबकि मैसर्स प्रकाश चंद माणकलाल एवं लखानी एजेन्सीज द्वारा लौटाये गये रूपये वस्तुतः उनके द्वारा लौटाये नहीं गये हैं बल्कि अपीलार्थी द्वारा उक्त पार्टियों को बीड़ी खरीद के पेटे उक्त राशियों का आरटीजीएस किया गया था जो तकनीकी कारण से उक्त पार्टी के खाते में जमा नहीं हो पाई एवं पुनः अपीलार्थी के ही खाते में जमा हो गयी। इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी एवं अपीलीय अधिकारी के समक्ष बैंक ऑफ बडौदा द्वारा जारी प्रमाण पत्र की छाया प्रति दिनांक 27.12.2012 भी प्रस्तुत की गई थी, लेकिन दोनों ही अवर अधिकारियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। जहाँ तक मैसर्स शाकम्बरी टी कम्पनी द्वारा अपीलार्थी को रूपये 14,00,000/- लौटाये जाने का प्रश्न है तो इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा उक्त व्यापारी को चैक संख्या 999587 दिनांक 25.02.2011 के द्वारा रूपये 14,00,000/- उधार दिये गये थे जो उक्त व्यापारी द्वारा दिनांक 03.03.2011 एवं 08.03.2011 को वापिस लौटाये गये जो कि अपीलार्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत बैंक स्टेटमेंट से प्रमाणित है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त प्रविष्टियों को आधार बनाकर कर निर्धारण आदेश पारित करना पूर्णतया अविधिक है।

विद्वान अभिभाषक द्वारा अग्रिम कथन किया गया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह आक्षेप भी लगाया गया है कि मैसर्स महावीर प्रसाद रविन्द्र कुमार, फतेहाबाद (हरियाणा) द्वारा मैसर्स भारत मोर्टस को आर.टी.जी.एस./चैक जारी करने की तिथि से 1-2 दिन पूर्व लगभग उतनी ही राशि नकद जमा करवाई गयी जितने का चैक जारी किया गया। जमा पर्चियों पर जमाकर्ता के रूप में अलग—अलग हस्ताक्षर किये गये लेकिन जमा पर्चियों पर अंकित लिखावट व अपीलार्थी के अन्तरराज्यीय बिलों की अंकित लिखावट एक समान है एवं सभी जमा पर्चियों पर मैसर्स महावीर प्रसाद रविन्द्र कुमार, फतेहाबाद (हरियाणा) के मालिक के पेन नम्बर अंकित है भी पूर्णतया अनुचित एवं अविधिक है। क्योंकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा श्री रामनिवास प्रोपराइटर मैसर्स महावीर प्रसाद रविन्द्र कुमार, फतेहाबाद (हरियाणा) के बयान दिनांक 17.09.2012 को कलमबद्ध किये जिसमें श्री रामनिवास ने स्पष्ट रूप से कर निर्धारण अधिकारी को अवगत कराया कि उनका व्यक्ति माल लेने के लिये रोकड़ साथ ले जाता

था तथा माल नहीं मिलने पर रोकड़ खाते में जमा करवा दिया जाता था। अतः श्री रामनिवास द्वारा उसके खाते में रूपये जमा कराने की स्थिति कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष पूर्ण रूप से स्पष्ट कर दी थी जिसके पश्चात् संदेह की कोई वजह नहीं रहती। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी द्वारा मैसर्स महावीर प्रसार रविन्द्र कुमार, फतेहाबाद को रूपये 3,63,68,924.70/- की बीड़ी का विक्रय किया गया है एवं इसके विरुद्ध कर निर्धारण अधिकारी द्वारा लगभग रूपये 70,00,000/- जमा कराने का ही आक्षेप लगया है एवं उनके द्वारा शेष राशि लगभग रूपये 3 करोड़ के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा लगाया गया उक्त आक्षेप स्वयं क्रेता के मालिक द्वारा दिये गये बयान के विरुद्ध है। जमा पर्यायों एवं अपीलार्थी द्वारा बनाये गये अन्तरराज्यीय बिलों पर एक ही लिखावट होने के संबंध में यदि कर निर्धारण अधिकारी को इस संबंध में कोई संदेह था तो वे Forensic जांच करवाने हेतु स्वतंत्र थे, लेकिन कर निर्धारण अधिकारी अपीलार्थी के विरुद्ध मांग कायम करने की इतनी जल्दी में थे कि उन्होंने अपीलार्थी को उनके द्वारा जारी नोटिस दिनांक 17.12.2012 जो कि 10 पृष्ठों में है का जवाब प्रस्तुत करने के लिये मात्र 3 दिवस का समय प्रदान किया अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्यायिक सिद्धांतों के विरुद्ध है।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अग्रिम कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कुछ ट्रांसपोर्टर्स के बयानों को आधार बनाकर यह साबित करने का प्रयास किया है कि अपीलार्थी द्वारा जिन ट्रांसपोर्ट कम्पनी से माल भेजा गया है वे अस्तित्व में नहीं हैं। इस संबंध में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कुछ ट्रांसपोर्ट कम्पनियों के बयान भी कलमबद्ध किये हैं। जबकि मैसर्स एम.वी. फेट कैरियर का मालिक श्री विष्णुदत्त शर्मा है जिसकी एक अन्य ट्रांसपोर्ट कम्पनी मैसर्स भरतपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट कम्पनी भी है। श्री विष्णुदत्त शर्मा से इस संबंध में बयान तो लिये गये लेकिन मैसर्स एम.वी. फेट कैरियर के संबंध में उक्त बयान में किसी भी तरह का स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं किया गया है। अन्य दो ट्रांसपोर्ट कम्पनियों जो कि हिन्डोन में स्थित हैं के संबंध में कोई जानकारी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्राप्त नहीं की गई एवं हिन्डोन में स्थित ट्रांसपोर्ट कम्पनी की जांच बांसवाड़ा स्थित ट्रांसपोर्टरों से की गई जो कि अनुचित है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा समस्त कार्यवाही अपीलार्थी को दण्डित करने की नियत से की गई है जो कि पूर्णतया अविधिक है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा बीड़ी के अन्तरराज्यीय विक्रय पर 2 प्रतिशत से कर वसूल कर राजकोष में जमा कराया गया था जिसका समायोजन कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नहीं दिया गया है।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष समस्त दस्तावेजों की प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी द्वारा

उन सभी व्यक्तियों जिनके की कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बयान कलमबद्ध किये गये थे का कटुपरीक्षण भी चाहा गया था, लेकिन कर निर्धारण अधिकारी ने ना तो दस्तावेजों की प्रति अपीलार्थी को उपलब्ध कराई एवं ना ही कटुपरीक्षण का अवसर दिया। इस संबंध में अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय स्टेट ऑफ केरला बनाम मैसर्स के टी शादुली यूसूफ (1977) 39 एसटीसी 478, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय वाणिज्यिक कर अधिकारी, एन्टीईवेजन, जयपुर बनाम मैसर्स राजस्थान एलुमिनियम इण्डस्ट्रीज, जयपुर 1986 आरटीसी 64, वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मैसर्स हरियाणा दाल मिल 1991 टैक्स वर्ल्ड 361 एवं माननीय पंजाब एण्ड हरियाणा उच्च न्यायालय का निर्णय मैसर्स मुकुन्द सिंह एण्ड संस बनाम प्रिसाईडिंग ऑफिसर (1997) 107 एसटीसी 300 उद्विरित किये। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा आगे कथन करते हुये बताया कि कर निर्धारण अधिकारी ने बिना कोई ठोस सबूत जुटाये मात्र संदेह के आधार पर समस्त कार्यवाही की है, जो कि अविधिक है। इस संदर्भ में अपीलार्थी द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय स्टेट ऑफ केरला बनाम मैसर्स एम.एम. मैथ्यू (1978) 42 एसटीसी 348 उद्विरित किया। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक का यह भी कथन है कि अपीलार्थी द्वारा समस्त खरीद राज्य के पंजीकृत व्यवसाईयों से की गई एवं बिक्री, हरियाणा के पंजीकृत व्यवसाई को की गई है। यदि कर निर्धारण अधिकारी इस स्थिति को अन्यथा साबित करने चाहते थे, तो इसे साबित करने का भार कर निर्धारण अधिकारी का है जिसका निर्वहन करने में वे पूर्णतया असफल रहे हैं। इस संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय मैसर्स गिरंधारी लाल नन्हेलाल बनाम दा सैल्स टैक्स कमिशनर (1977) 39 एसटीसी 30, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का निर्णय कार्मिशयल टैक्सेज ऑफिसर बनाम मैसर्स चिरंजीलाल लक्ष्मीनारायण (2006) 148 एसटीसी 570 एवं माननीय इलाहबाद उच्च न्यायालय का निर्णय मैसर्स कनोडिया पाईप एण्ड फिटिंग कम्पनी बनाम कमिशनर ऑफ सैल्स टैक्स (2001) 121 एसटीसी 415 उद्विरित किये। अन्त में विद्वान अभिभाषक द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

विद्वान उपराजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश पूर्णतया विधिसम्मत है एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित कर निर्धारण आदेश पूर्ण जांच करने के उपरांत ही पारित किया गया है। उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा सभी तथ्यों पर विचार कर, विधिनुसार आदेश पारित किया है जिसमें किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाई नहीं है। विद्वान उपराजकीय अभिभाषक द्वारा अपने इन कथन के साथ अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया गया है।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली का अवलोकन किया गया व उद्विरित न्यायिक दृष्टांतों का सम्मान अध्ययन किया गया।

इस प्रकरण में मुख्यतः बिन्दु यह है कि, क्या अपीलार्थी द्वारा राज्य में पंजीकृत व्यवसाईयों से बीड़ी की क्रय कर फतेहाबाद के व्यवसाई को अन्तरराज्यीय विक्रय के दौरान बिक्री की गई है अथवा नहीं। इस संबंध में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी, राज्य के विक्रेताओं, ट्रांसपोर्टर एवं क्रेता मैसर्स महावीर प्रसाद रविन्द्र कुमार, फतेहाबाद (हरियाणा) के बयान कलमबद्ध किये गये जिनका अध्ययन करना इस प्रकरण में महत्वपूर्ण है एवं जिनके मुख्य अंश निम्न प्रकार हैं :-

अनिल कुमार पार्टनर के बयान

फर्म पार्टनर शीप फर्म है, फर्म में मोटर साईकिल एवम् इसके स्पेयर पार्ट्स की खरीद बिक्री मुख्य रूप से की जाती है इसके अतिरिक्त दिनांक 15.11.2010 से फर्म में किये जाने वाले व्यवसाय में सीमेट, माचिस, बीड़ी, तम्बाकू, पान मसाला आदि उत्पादों में ट्रेडिंग किये जाने हेतु संशोधन करवाया गया, एवम् इन समस्त उत्पादों में भी ट्रेडिंग किया जाना शुरू किया गया है। फर्म में इस स्थल के अतिरिक्त एक ब्रांच भी खोली है जिसका दिनांक 01.01.2012 से ई.सी. में संशोधन कराया गया है।

आपने मेरे व्यवसाय स्थल पर कार्यरत कर्मचारी श्री प्रदीप पाण्डेया के पृथकतः बयान लिये जिसे मैंने पढ़ा एवम् उस बयान में संशोधन कराया कि फर्म में किया जाने वाला अन्य प्रकार के व्यवसाय की श्री प्रदीप पाण्डेया को जानकारी नहीं है।

फर्म में मोटर साईकिल के अतिरिक्त बीड़ी, तम्बाकू का भी व्यवसाय किया गया। गत वर्षों में बीड़ी की ट्रेडिंग की गई है। बीड़ी की खरीद बॉसवाडा, झूंगरपुर आदि राज्य के भीतर के व्यवसाईयों से खरीद की जाती थी, इस खरीद किये गये बीड़ी को ट्रांसपोर्टर को निर्देश दिये जाते थे कि इस अमुक स्थान से बीड़ी उठा कर अन्य स्थानों पर अधिकाशंतया राज्य के बाहर डिलीवरी की जाती थी। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कई स्थिति में खरीद करने वाली पार्टी द्वारा दिया जाता था, एवम् कई स्थिति में हमारे द्वारा ट्रांसपोर्टेशन अदा किया गया है। स्थानीय स्तर पर बॉसवाडा आदि से बीड़ी की डिलीवरी देने के लिये, स्थानीय ट्रांसपोर्टर को Direction दिये जाते थे एवम् माल की डिलीवरी दी जाती थी। सामान्यतया माल की वही से, खरीद के ही समय डिलीवरी देने को निर्देशित किया जाता था, किन्तु कभी-कभी माल मेरे फर्म स्थल पर भी खाली करवाया गया।

माल की खरीद करते समय जिन पार्टियों से माल खरीदा जाता था उसका भुगतान भी बैंक के जरिये किया जाता था माल मेरे इसी गोदाम में अपने स्तर पर खाली करवा लिया जाता था। आपको बताया कि जिन ट्रांसपोर्टर से माल की डिलीवरी करवायी गयी उसकी सूचना आपको बाद में कुछ दिनों में उपलब्ध करा दूँगा।

पुनर्शय आपको बताया कि माल की डिलीवरी राज्य बाहर करने के लिये ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, राज्य के बाहर वाली खरीददार पार्टी द्वारा ही दिया गया है

मैने कभी भी इसका ट्रासंपोर्टेशन वहन नहीं किया मेरे द्वारा एक बार एक चैक दिया गया था जिसका भी भुगतान आगे वाली खरीददार पार्टी के द्वारा ही दिये जाने से वह चैक सिकराया नहीं गया। जिस स्थिति में मैने माल को अपने बाँसवाडा स्थित गोदाम पर खाली किया वह मेरे स्वयं के निजी ट्रक से ही किया है, मेरे वाहन की संख्या आरजे 03 जीपी 1600 डम्पर से मंगवाया जाता था। फर्म बाँसवाडा स्थित फर्म पर किन-किन दिनांकों में माल मंगवाया गया उसकी जानकारी याद नहीं होने से नहीं बता सकता हूँ। रिकॉर्ड का अवलोकन कर बता पाऊँगा। माल कुछ समय तक रखा जाता था।

प्रदीप कुमार पाण्डेया, अपीलार्थी के स्पेयर पार्ट्स इनचार्ज के बयान

मैं, प्रदीप कुमार रुबरु श्रीमान् को बयान करता हूँ कि आज आप फर्म स्थल पर वास्ते सर्वेक्षण आए, आपने फर्म में मोटर साईकिल (बजाज कम्पनी) एवं स्पेयर पार्ट्स के व्यापार के बारे में मेरे से जानकारी चाही, आपको बताया कि फर्म स्पेयर पार्ट्स से संबंधित सभी काम मेरे द्वारा देखा जाता है, फर्म में मोटर साईकिल व स्पेयर पार्ट्स की गाड़िया इसी स्थल पर खाली करायी जाती है, फर्म के ही काम करने वाले स्टॉफ से खाली कराई जाती है। मैं, फर्म जब से चालु हुई है तब से मैं यहाँ कार्यरत हूँ, फर्म में मुख्यतः खरीद बाईक्स व स्पेयर पार्ट्स की है, स्पेयर पार्ट्स व बाईक की गाड़िया राज्य के बाहर से आती है कुछ माल राज्य से भी खरीदा जाता है। हमारे सामने ही खाली होती है। फर्म ऑयल, स्पेयर पार्ट्स, बाईक्स के अलावा अन्य कोई कर योग्य माल यहाँ नहीं आता है, हमारे सामने आज दिनांक तक बाईक्स व स्पेयर पार्ट्स एसेसरी के अलावा अन्य कोई भी बिक्री योग्य वस्तु यथा तेल, धी, आटा, पान, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी आदि कभी खाली नहीं की गई है। बयान पढ़े सही जान हस्ताक्षर किए मैं स्पेयर पार्ट्स का इनचार्ज हूँ इसके अतिरिक्त यदि कोई कार्य फर्म में होता है मुझे जानकारी नहीं है।

प्रकाश चंद प्रोपराईटर मैसर्स प्रकाश चंद माणक लाल नाहटा, कुशलगढ़ के बयान

आप द्वारा पूछताछ पर मैने आपको बताया कि वर्ष 2010-11 में मैसर्स भारत मोटर्स, बाँसवाडा को माल विक्रय में डिलीवरी हमारे वाहन से नहीं की थी, क्रेता स्वयं के स्तर पर पर ले जाता था, किस वाहन में ले जाता था इसकी हमें जानकारी नहीं है। क्रेता फर्म मैसर्स भारत मोटर्स, बाँसवाडा ने कभी हमें लिखित में ऑर्डर नहीं दिया था। माल का पेमेन्ट क्रेता फर्म द्वारा आरटीजीएस द्वारा प्राय पाच-सात दिन में प्राप्त होता था।

सूर्यप्रकाश अग्रवाल कर्ता फर्म मैसर्स शाकम्बरी टी कम्पनी, बाँसवाडा के बयान

आपके पूछने पर बताया कि फर्म के अधिकांशतया बीड़ी की बिक्री होती है जो प्रतिदिन 2 बॉक्स या 2-5 बॉक्स के औसत से होती है, आपके पूछने पर कि दिनांक 12.10.2010 को 150 बॉक्स मैसर्स गर्ग ट्रेडिंग कम्पनी, श्रीगंगानगर को बिक्री की गई है, यह माल पार्टी अपने ऑटो से ले जाती थी, वह आगे कैसे ले गई इसकी हमें जानकारी नहीं, ऐसे बल्क माल की सप्लाई में आगे वाली पार्टी

ही माल ले जाती है, २३.१२.२०१० में ६५ बॉक्स बांसवाडा की फर्म मैसर्स भारत मोटर्स को बेची गई, वह भी अपने स्तर पर अपनी गाड़ी में ले गए वे आगे उस माल को कहा भेजते हैं हमें जानकारी नहीं है।

श्री चंद लखानी कर्ता फर्म मैसर्स लखानी एजेन्सीज, बांसवाडा के बयान

आप द्वारा पूछताछ पर मैंने आपको जाहिर किया कि वर्ष २०१०-११ में भारत मोटर्स, बांसवाडा को बीड़ी माल का विक्रय किया था, जो कि माल की डिलीवरी हर बार मैसर्स भारत मोटर्स के दाहोद रोड, किकरिया स्थित बजाज मोटर साईकिलों के शोरूम पर की गई थी। माल बिक्री का परिवहन व्यय कम्पनी द्वारा वहन किया गया था।

कमल किशोर अग्रवाल प्रोपराईटर कमल एण्ड कम्पनी, हिण्डोन सिटी

आज कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी श्री भरत लाल मीणा मेरे व्यवसाय स्थल पर पधारे एवं वर्ष २०१०-११ से संबंधित मैसर्स भारत मोटर्स, बांसवाडा टिन नम्बर ०८८९३७५४९३३ को बिक्री किये गये माल से संबंधित जानकारी मांगी जिस पर मैंने आपको दो बिलों द्वारा उपरोक्त फर्म को बेचान किया जाना बताया।

आप द्वारा पूछने पर बताया कि डिलीवरी क्रेता को हिण्डोन में ही की गई। परिवहन खर्च क्रेता फर्म द्वारा ही वहन किया गया था।

श्रीमती कमला रानी अग्रवाल प्रोपराईटर फर्म मैसर्स आस्था मार्केटिंग, हिण्डोन सिटी

वाद दरयाफत बयान करती हूँ कि आज मय कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी भरत लाल मीणा मेरे व्यवसाय स्थल पर पधारे एवं वर्ष २०१०-११ से संबंधित मैसर्स भारत मोटर्स, बांसवाडा टिन नम्बर ०८८९३७५४९३३ को बिक्री किये गये माल से संबंधित जानकारी मांगी जिन पर मैंने आपको ६ बिलों द्वारा उपरोक्त फर्म को बेचान बताया गया जिस की विगत निम्न प्रकार है:—

आप द्वारा पूछने पर मैंने बताया कि उपरोक्त माल की डिलीवरी क्रेता फर्म भारत मोटर्स के मुनीम को हिण्डोन में ही दी गई परिवहन खर्च क्रेता फर्म द्वारा ही वहन किया गया।

श्री महावीर फडिया प्रोपराईटर मैसर्स शोभा चंद निहालचंद, झूंगरपुर

श्री महावीर फडिया ने बताया कि वर्ष २०१०-११ में मैसर्स भारत मोटर्स बांसवाडा को टेलीफोन बीड़ी की बिक्री की गई। फर्म के द्वारा संदर्भित वर्ष में मैसर्स भारत मोटर्स, बांसवाडा को की गई बिक्री के लेजर की प्रति संलग्न है।

श्री महावीर ने बताया कि उक्त बेचान माल कुल कीमतन् रूपये २८,७९,७३०/- का किया गया। जिसके परिवहन भाड़ा का भुगतान मैसर्स फडिया शोभा चंद निहाल चंद फर्म से नहीं किया गया है। उक्त बेचान में माल भाड़ा लोडिंग का खर्च भी खरीदने वाली फर्म मैसर्स भारत मोटर्स, बांसवाडा द्वारा ही वहन किया गया। उक्त माल मेरे गोदाम से हाथ ठेले में भरकर मैसर्स भारत मोटर्स बांसवाडा का संबंधित व्यक्ति मालिक लेकर गया।

कमल किशोर अग्रवाल प्रोपराईटर मैसर्स गोकुलचंद मांगीलाल, हिण्डोन सिटी

वाद दरयाफत बयान करता हूँ कि आज मय कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी

श्री भरत लाल भीणा ने मेरे व्यवसाय स्थल पर पधारे एवं वर्ष 2010-11 से संबंधित मैसर्स भारत मोटर्स, बाँसवाडा टिन नम्बर 08893754933 को बिक्री किये गये माल से संबंधित जानकारी मांगी जिन पर मैंने आपको 2 बिलों द्वारा उपरोक्त फर्म को बेचान किया जाना बताया ।

आप द्वारा पूछने पर मैंने बताया कि डिलेवरी क्रेता को हिण्डोन में ही की गई। परिवहन खर्च क्रेता फर्म द्वारा ही वहन किया गया है।

रामनिवास प्रोपराइटर मैसर्स महावीर प्रसाद रविन्द्र कुमार, फतेहाबाद (हरियाणा)

हरियाणा के बाहर से मैसर्स भारत मोटर्स के अलावा और कोई खरीद नहीं है।

माल लेने के लिये कैश साथ ले गये थे तथा माल नहीं मिला तो कैश खाते में जमा करवा दिया ।

संदीप अग्रवाल मालिक मैसर्स गणेश ट्रांसपोर्ट कम्पनी, बाँसवाडा

वर्ष 2010 में बाँसवाडा में से एक पार्टी की बीड़ी की सप्लाई भी की गई है। जिनकी बिल्टी भी मेरे ही ऑफिस से जारी की गई है। आपको बताया कि बीड़ी का लदान मेरे ऑफिस में से ही किया गया है। व्यापारी द्वारा मेरे ही ऑफिस में माल भिजवाया गया, जिसे मेरे गोदाम में रखता था। माल की जिस दिनांक को माल बुक किया उसके एक-दो दिन के आगे में माल भेज दिया गया। मेरे ऑफिस में माल की डिलीवरी के लिए माल रोका नहीं गया, यह माल अलग-अलग ट्रकों से भेजा है, इन बिल्टियों में मैंने कोई ट्रक नम्बर नहीं डाला है, कारण कि बुकिंग के बाद जिस ट्रक से भेजा गया, उस ट्रक का नम्बर अगले दिन अथवा ट्रक मिलने पर पता पड़ता था। आपको अभी उन ट्रकों के नम्बर बता नहीं सकता हूँ मैं यह जानकारी दो-तीन दिवस में उपलब्ध करा दूँगा। इस माल को बुक करवाने व ट्रांसपोर्टेशन भाडा भारत मोटर्स, बाँसवाडा ने ही नकद अदा किया है। बीड़ी लेने के लिये मैंने माल उठाने के लिये कही कोई ट्रक नहीं भेजा है। ट्रांसपोर्ट ऑफिस पर स्थाई लेबर नहीं रखी जाती है ना ही पूर्व में रखी गई।

उपरोक्त बयान जो कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा राज्य के विक्रेता व्यवसाईयों, हरियाणा का क्रेता, ट्रांसपोर्ट कम्पनी एवं श्री अनिल सिंघल पार्टनर अपीलार्थी फर्म के कलमबद्ध किये हैं उनके अध्ययन से स्पष्ट है कि सभी ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि अपीलार्थी द्वारा बीड़ी की खरीद राज्य के पंजीकृत व्यवसाईयों से की गई है एवं फतेहाबाद (हरियाणा) में स्थित फर्म मैसर्स महावीर प्रसाद रविन्द्र कुमार को की गई है। इस तथ्य में भी कोई विवाद नहीं है कि फतेहाबाद की क्रेता फर्म द्वारा अपीलार्थी को वैध घोषणा प्रपत्र "सी" जारी किये गये हैं जिसे अपीलार्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अपीलार्थी द्वारा राज्य में स्थित पंजीकृत व्यवसाईयों को बीड़ी खरीद के पेटे चैक/आरटीजीएस के जरिये भुगतान किया गया है और इसी तरह फतेहाबाद (हरियाणा) के क्रेता द्वारा अपीलार्थी को आरटीजीएस के माध्यम से ही भुगतान किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कलमबद्ध किये गये बयानों से यह निर्विवादित रूप से स्पष्ट हो जाता है कि अपीलार्थी द्वारा की

गई खरीद एवं बिक्री के संब्यवहार पूर्णतया वास्तविक है एवं कर निर्धारण अधिकारी का आक्षेप कि अपीलार्थी द्वारा मात्र कागजी संब्यवहार किये गये हैं निराधार पाया जाता है।

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी पर कर निर्धारण आदेश में यह आक्षेप लगाया गया है कि उसके द्वारा जितनी राशि राज्य के विक्रेताओं को बीड़ी की खरीद की एवज में दी गई उतनी ही राशि उक्त खरीदारों ने अपीलार्थी को आरटीजीएस के माध्यम से पुनः लौटा दी गई। अपीलार्थी द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत बैक ऑफ बडौदा द्वारा जारी प्रमाण पत्र की छाया प्रति दिनांक 27.12.2012 का अवलोकन किया जिसमें पाया कि मैसर्स प्रकाश चंद माणकलाल एवं लखानी एजेन्सीज द्वारा लौटाये गये रूपये वस्तुतः उनके द्वारा लौटाये नहीं गये हैं बल्कि अपीलार्थी द्वारा उक्त पार्टीयों को खरीद के पेटे आरटीजीएस किया गया था एवं तकनीकी कारण से उक्त पार्टी के खाते में जमा नहीं हो पाने से पुनः अपीलार्थी के ही खाते में जमा हो गये। इसके अतिरिक्त कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध कर निर्धारण आदेश पारित करते समय यह आक्षेप भी लगाया है कि क्रेता मैसर्स महावीर प्रसाद रविन्द्र कुमार, फतेहाबाद (हरियाणा) द्वारा मैसर्स भारत मोटर्स को आर.टी.जी.एस चैक जारी करने की तिथि से 1–2 दिन पूर्व लगभग उतनी ही राशि नकद जमा करवाई गयी जितने का चैक जारी किया गया। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी द्वारा उक्त व्यवहारी को वर्ष 2010–11 में रूपये 3,63,68,924.70/- के माल की बिक्री की गई है जिसमें से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विभिन्न बैंकों से लगभग रूपये 70,00,000/- की ही जमा पर्चियों के बारे में बताया गया है शेष राशि किस तरह से क्रेता मैसर्स महावीर प्रसाद रविन्द्र कुमार फतेहाबाद हरियाणा को भेजी गई के बारे में ना तो विस्तृत कोई जांच की गई एवं ना ही इस संबंध में कर निर्धारण आदेश में उल्लेख किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा श्री रामनिवास प्रोपराईटर मैसर्स महावीर प्रसाद रविन्द्र कुमार, फतेहाबाद (हरियाणा) के बयान दिनांक 17.09.2012 को कलमबद्ध किये जिसमें श्री रामनिवास ने स्पष्ट रूप से कर निर्धारण अधिकारी को अवगत कराया कि उनका व्यक्ति माल लेने के लिये रोकड़ साथ ले जाते थे तथा माल नहीं मिलने पर फर्म के खाते में रोकड़ जमा करवा दिया करते थे। अतः श्री रामनिवास द्वारा उसके खाते में रूपये जमा कराने की स्थिति पूर्णतया स्पष्ट कर दी थी उसके पश्चात् संदेह की कोई वजह नहीं रहती। इसके अतिरिक्त यदि कर निर्धारण अधिकारी के अंतरमन में किसी प्रकार का संदेह था तो वे इस संबंध में श्री महावीर प्रसाद रविन्द्र कुमार, फतेहाबाद से और जानकारी प्राप्त कर सकते थे, लेकिन वर्तमान प्रकरण में इस तरह की जांच का अभाव है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध यह भी आक्षेप लगाया गया है कि अपीलार्थी द्वारा बनाये गये अन्तरराज्यीय विक्रय से संबंधित बिल एवं बांसवाडा के आसपास स्थित बैंकों की ब्रांच से जो पर्चियां प्राप्त की गई हैं जिनसे मैसर्स महावीर प्रसाद रविन्द्र कुमार, फतेहाबाद (हरियाणा) के खाते में

राशि जमा करवाई गयी है उन की लिखावट एक ही है पर विचार किया गया। कर निर्धारण अधिकारी ने मात्र संदेह के आधार पर उक्त आरोप अपीलार्थी के विरुद्ध लगाया है। यदि कर निर्धारण अधिकारी को इस संबंध में किसी भी प्रकार का संदेह था तो उनको फोरेनसिक जांच करवानी चाहिए थी एवं बिना किसी जांच के इस तरह का गम्भीर आरोप कर निर्धारण अधिकारी द्वारा लगाना अनुचित है। इसके अतिरिक्त कर निर्धारण अधिकारी ने कर निर्धारण आदेश में यह भी अंकित किया है कि मैसर्स महावीर प्रसाद रविन्द्र कुमार, फतेहाबाद (हरियाणा) के मालिक श्री रामनिवास द्वारा यह बयान दिया गया है कि माल भाड़ा अपीलार्थी द्वारा चुकाया गया था। इसके विपरीत श्री रामनिवास द्वारा दिये गये बयान में इस तरह का तथ्य नहीं पाया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह भी आक्षेप लगाया गया है कि अपीलार्थी द्वारा बीड़ी से संबंधित संव्यवहार वर्ष 2010-11 में किये गये जबकि उसके द्वारा प्रस्तुत बिल्टियां जो कि श्री गणेश ट्रांसपोर्ट कम्पनी द्वारा जारी की गई है वर्ष 2012 की बिल्टी बुक में से जारी की गई है। इस संदर्भ में अपीलार्थी का कथन है कि ट्रांसपोर्टर बिल्टी किस बिल्टी बुक में से जारी करता है यह उसके अधिकार में नहीं है यदि कर निर्धारण अधिकारी को इस संबंध में किसी प्रकार का संदेह था तो उसे ट्रांसपोर्टर से जांच करनी चाहिए थी। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ट्रांसपोर्टर श्री संदीप अग्रवाल के बयान कलमबद्ध किये जिसका अवलोकन करने से स्पष्ट कि लायक अधिकारी द्वारा इस संबंध में ट्रांसपोर्टर से कोई जांच नहीं की गई है एवं मात्र संदेह के आधार पर कर निर्धारण आदेश पारित किया गया है जो विधिसम्मत नहीं है। यदि कर निर्धारण अधिकारी को बिल्टियों के संबंध में किसी भी प्रकार का संदेह था तो उसे इस संबंध में श्री संदीप अग्रवाल से स्पष्टीकरण प्राप्त करना चाहिए था।

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण आदेश में अपीलार्थी के विरुद्ध यह आक्षेप लगाया है कि उसके द्वारा भुगतान किया गया परिवहन भाड़ा उसकी लेखा बहियों में दर्ज नहीं किया गया है। इस संबंध में अपीलार्थी के भागीदार श्री अनिल सिंघंल ने अपने बयान में यह स्पष्ट कर दिया था कि “डिलेवरी राज्य बाहर करने के लिये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज, राज्य के बाहर वाली खरीददार पार्टी द्वारा ही दिया गया है मैंने कभी भी इसका ट्रांसपोर्टेशन वहन नहीं किया मेरे द्वारा एक बार एक चैक दिया गया था जिसका भी भुगतान आगे वाली खरीददार पार्टी के द्वारा ही दिये जाने से वह चैक सिकराया नहीं गया।” उल्लेखनीय है कि जब अपीलार्थी फर्म के भागीदार द्वारा उक्त बयान दिया गया तब कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इस संबंध में क्रेता फर्म से पूछताछ क्यों नहीं की गई। यदि कर निर्धारण अधिकारी चाहते तो वह क्रेता फर्म से इस संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते थे, लेकिन कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सच्चाई सामने लाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। जहाँ तक बाँसवाडा एवं आसपास के क्षेत्रों से माल बाँसवाडा परिवहनित करने का प्रश्न है तो इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष स्पष्ट किया गया था कि मार्बल

एवं बीड़ी के परिवहन हेतु उसके द्वारा टिप्पर खरीदा गया है जिसका परिवहन विभाग द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र भी कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया था। अपीलार्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी को यह भी अवगत कराया गया था जब भी उक्त टिप्पर मार्बल पहुचाने किसी भी क्षेत्र में जाता है तो माल उतारने के पश्चात् उसे बाँसवाडा खाली आना पड़ता है अतः भाड़ा बचाने के उद्देश्य से लिये अपीलार्थी द्वारा अपने टिप्पर में ही आसपास के क्षेत्रों से माल लदान कर मंगवाया गया। अतः जब अपीलार्थी द्वारा परिवहन से संबंधित खर्च ही नहीं किये गये तब उक्त खर्चों का लेखा बहियों में दर्ज होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

अपीलार्थी द्वारा राज्य की पंजीकृत फर्मों से बीड़ी का क्रय किया गया है जिस पर विक्रेताओं ने 20 प्रतिशत कर वसूल कर राजकोष में जमा कराया है। उक्त फर्मों द्वारा उनके द्वारा अपीलार्थी को की गई समस्त बिक्री त्रैमासिक बिक्री विवरणियों में घोषित की गई है एवं संबंधित कर निर्धारण अधिकारियों ने विक्रेताओं द्वारा की गई बिक्री को विधिक पाया है। अपीलार्थी द्वारा अपील सुनवाई के दौरान समस्त क्रेताओं के वर्ष 2010–11 से संबंधित कर निर्धारण आदेशों की छाया प्रति प्रस्तुत की जिनका अवलोकन किया गया। उल्लेखनीय है कि विक्रेता व्यवसाई यथा मैसर्स प्रकाश चंद माणकलाल नाहटा, मैसर्स शाकम्बरी टी कम्पनी एवं मैसर्स लखानी एजेन्सीज का कर निर्धारण अधिकारी भी सहायक आयुक्त, वृत्त-बाँसवाडा है जिन्होंने अपीलार्थी के विरुद्ध वर्तमान कर निर्धारण आदेश पारित किया है। लायक कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी द्वारा की गई खरीद को बोगस बताते हुये उसके द्वारा क्लेम की गई आईटीसी को अस्वीकार किया है जबकि विक्रेताओं द्वारा अपीलार्थी को की गई बिक्री में क्लेम की गई आईटीसी को स्वीकार किया गया है अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इस संबंध में दोहरा मापदण्ड अपनाया गया है। इसके अतिरिक्त क्रेता व्यवसाई मैसर्स महावीर प्रसाद रविन्द्र कुमार, फतेहाबाद (हरियाणा) के कर निर्धारण अधिकारी द्वारा भी उसके द्वारा अपीलार्थी से की गई खरीद को विधिक मानते हुये स्वीकार किया है। अतः कर निर्धारण अधिकारी का यह मानना कि अपीलार्थी द्वारा बोगस खरीद/बिक्री की गई है प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों को ध्यान में रखते हुये उचित नहीं माना जा सकता।

अपीलार्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी से समस्त उन व्यक्तियों का जिनका बयान कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कलमबद्ध किया गया है का कटुपरीक्षण चाहा गया, लेकिन कर निर्धारण अधिकारी ने उसे अस्वीकार कर दिया। यह विधि का सुस्थापित सिंद्हात है कि यदि किसी भी व्यक्ति के बयान अन्य व्यक्ति के विरुद्ध इस्तेमाल किये जाते हैं तो उस अन्य व्यक्ति को उसके विरुद्ध बयान देने वाले व्यक्ति का कटुपरीक्षण का अधिकार है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्टेट ऑफ केरला बनाम मैसर्स के टी शादुली यूसूफ (1977) 39 एसटीसी 478 के प्रकरण में निम्न प्रकार से अभिनिर्धारित किया है:- "since the evidentiary material procured from or produced by H was sought to be relied upon for showing that the return submitted by the

assessee was incorrect and incomplete, the assessee was entitled to have H summoned as witness for cross examination inasmuch as cross examination is one of the most efficacious methods to establishing the truth and exposing false hood. The act of the Sales Tax Officer in refusing to summon H for cross examination by the assessee clearly constituted infraction of the right conferred on the assessee by the second part of the proviso to section 17(3) and that vitiated the orders of assessment made against the assessee".

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, एन्टीइवेजन, जयपुर बनाम् मैसर्स राजस्थान एलुमिनियम इण्डस्ट्रीज, जयपुर 1986 आरटीसी 64 के प्रकरण में निम्न प्रकार से अभिनिर्धारित किया गया है :— "it is, settled law, that if a document prepared by a third party which may connect the assessee, is to be used against the assessee, then it is incumbent upon the assessing authority to give ample opportunity to the assessee in presence of a third party, who is the author of the document and also to cross examine the author of such document and elicit such necessary facts from him as to how the entries came to be made by him, connecting the assessee in such a document".

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् मैसर्स हरियाणा दाल मिल 1991 टैक्स वर्ल्ड 361 के प्रकरण में निम्न प्रकार से अभिनिर्धारित किया गया है :—

"On the basis of entries in the Nood Bahi of Dalal Pusa Ram Kasat sales treated as Inter State sales- Assessee not afforded opportunity to discredit the entries in the Nood Bahi, neither dala examined nor entries proved and evidentiary value of evidence of entries in the Nood bahi in absence of statement of dalalis almost nil and besides that opportunity should have been afforded to the assessee to discredit entries by producing of dalal and affording opportunity of cross examination to the assessee"

अपीलार्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी से समस्त व्यवसाईयों का कटुपरीक्षण चाहा गया था, लेकिन कर निर्धारण अधिकारी ने उसे अस्वीकार कर दिया गया जो कि माननीय न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित सिंद्वातों के विरुद्ध है अतः इस आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित निर्णय का समर्थन नहीं किया जा सकता।

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण आदेश बिना किसी ठोस सबूत के मात्र प्रबल संदेह, अजीब संयोग एवं गंभीर संदेह के आधार पर पारित किया गया है। कर निर्धारण पत्रावली में ऐसे कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है जिससे यह साबित होता हो कि अपीलार्थी द्वारा किये गये संव्यवहार बोगस है। यह विधि का सुसमान्य सिंद्वात है कि संव्यवहार को साबित करने का भार कर निर्धारण अधिकारी का है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्टेट ऑफ केरला बनाम् मैसर्स एम.एम.मैथ्यू (1978) 42 एसटीसी 348 के प्रकरण में निम्न प्रकार से अभिनिर्धारित किया गया है :—

"Strong suspicion, strange coincidences and grave doubts cannot take the place of legal proof. To establish the charges against the respondent, it was essential for the prosecution to establish that the secret books of accounts related to the business transactions carried on by the respondents and none else."

माननीय उच्चतम न्यायालय ने मैसर्स गिर्खारी लाल नन्हेलाल बनाम् सैल्स टैक्स कमिशनर (1977) 39 एसटीसी 30 के प्रकरण में निम्न प्रकार से अभिनिर्धारित किया गया है :—

"the approach which may be permissible for imposing liability for payment of income tax in respect of unexplained acquisition of money may not hold good in sales tax cases. For the purpose of income tax it may in appropriate cases be permissible to treat unexplained acquisition of money by the assessee to be the assessee's income from

undisclosed sources and assess him as such. As against that, for the purpose of levy of sales tax it would be necessary not only to show that the source of money has not been explained but also to show the existence of some material to indicate that the acquisition of money by the assessee has resulted from transactions liable to sales tax and not from other sources".

"the onus to prove the above two ingredients was upon the department. The fact that the appellant or its partner and his wife failed to adduce satisfactory or reasonable explanation with regard to the source of that amount would not in the absence of some further material have the effect of discharging the onus and providing both the ingredients. In such a case no presumption arise that the amount represent the income of the appellant and not of the partner or his wife. It was necessary to produce more material in order to connect the amount with the income of the appellants as a result of sales. In the absence of such material the mere absence of explanation regarding the source of the amount would not justify the conclusion that the amount represented the profits of the appellants derived from undisclosed sales"

माननीय इलाहबाद उच्च न्यायालय ने मैसर्स कनोडिया पार्सिप फिटिंग एण्ड कम्पनी बनाम् कमिशनर ऑफ सैल्स टैक्स (2001) 121 एसटीसी 415 में निम्न प्रकार से अभिनिर्धारित किया है :—

"the once the dealer says that he had not imported the goods, namely, galvanized pipes he is not expected to furnish proof of negative form. It was for the department to establish beyond doubt that the goods were imported by the assessee dealer".

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् मैसर्स चिरजी लाल लक्ष्मीनारायण (2006) 148 एसटीसी 570 में निम्न प्रकार से अभिनिर्धारित किया है :—

Held, dismissing the petition, that before a tax can be imposed, the burden of proof of establish taxable sales in the hands of the dealer lies upon the Revenue. Such burden having not been discharged by the assessing authority, the appellate authorities were right in holding that merely on the basis of such check-post entries, the movement of goods could not be taxed as inter-State sales in the hands of dealer. Even, if the dealer failed to produce the books of account, the assessing authority could gather material from other sources to prove such taxable inter-State sales, such as enquiry from purchasing dealers of destination station, but nothing of this sort was done by the assessing authority. There was no error in the appellate orders."

उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों के अध्ययन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा किये गये संव्यवहारों को बोगस/कागजी संव्यवहार साबित करने का भार कर निर्धारण अधिकारी पर था जिसका निर्वहन करने में वे पूर्णतया विफल रहे है। अतः माननीय न्यायालयों के उपरोक्त निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन नहीं किया जा सकता। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मात्र संदेह के आधार पर कर निर्धारण आदेश पारित किया है अतः अपीलीय अधिकारी व कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश न्यायोचित नहीं होने के कारण अपास्त किया जाता है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(इश्वरीलाल वर्मा)

सदस्य

—२६७४—
(बी.के.मीणा.)

अध्यक्ष